

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

1957/26

अपीलां 2 के आधिवाता उपास्थिते/ रेस्पो
सेम्प्या 03 के आधिवाता उपास्थिते।
रेस्पो. सेम्प्या 02 अनुपास्थिते।

आधिवाता अपीलां 2 द्वारा हस्तगत
अपील को समय न्यायालय से पेश
करने ब-मया 5 से छूट उदान करते
हुए विशेष जायेना - पर प्रस्तुत विधा
कि तहसीलदार कीव द्वारा राज्य-भू-
राजस्व माघि. की धारा 135, 133

के तहत अपील सम्मग्रीय आयुक्त
महोदय के समय पेश की जानी
थी, जकी भूलवेश से श्रीमान के
न्यायालय से पेश की गई। अतः
उक्त जायेना - पर स्वीकार कर
समय न्यायालय से पेश करने की
अनुमति उदान कर मया 5 से छूट
करले हुए अपील विशेष उले 3
बादेश करमाके।

हमने पत्रावली एवं आधिवाता अपीलां 2
द्वारा प्रस्तुत जा. प. का अवलोकन
विधा प्रसिमे पाया जाता है कि
हस्तगत अपील धारा 135, 133 के
तहत अपील श्रीमान सम्मग्रीय
आयुक्त के समय पेश की जानी
थी, सेवहन से इस न्यायालय से
दर्ज हुई।

जिला कलक्टर
बाइमेर

अतः आधिवक्ता अपीलॉर द्वारा
प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर
समय न्यायालय में अपील पेश
करने की अनुमति प्रदान करते
मयाद में धूर का आदेश पालिका
किया जाता है।

आधिवक्ता अपीलॉर द्वारा जरिये
"विद्रोह" प्रार्थना-पत्र स्वीकार
हस्तागत अपील खासि की
जाती है। पत्रावली केसल सुमा
होकर नम्बर से कम हो एवं
दाखिल इफतर हो।

जिला कलेक्टर
बाडमेर